


कार्यालय सम्पत्ति अधिकारी  
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

पत्रांक:सीएसयू-130/सम्पत्ति/2017

दिनांक: मई 29, 2017


नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर परिसर में विभिन्न स्थानों पर खड़े/गिरे/सूखे/हरे पेड़ों (कुल-31 पेड़) तथा गोदाम में एकत्र मिली जुली आँधी पानी से गिरे पेड़ों की जलौनी लकड़ी (लगभग 2000 कुन्तल) की विक्री (नीलामी) मुहरबन्द निविदा प्रक्रिया द्वारा जहाँ है जैसे के आधार पर दिनांक 02.06.2017 को 12.00 बजे तक टेन्डर चाले जायेंगे तथा उसी तिथि को 01.00 बजे गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी। नीलामी की प्रक्रिया अधिष्ठाता, कृषि संकाय के समिति कक्ष में सम्पन्न करायी जायेगी।

  
(मानेन्द्र सिंह)  
सम्पत्ति अधिकारी/संयोजक


पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।

- 1- गठित समिति के अध्यक्ष/सदस्यगणों को सूचनार्थ।
- 2- लकड़ी कंटाओं को सूचनार्थ।
- 3- प्रभाषी एरिस सैल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाउन लोड करने का कष्ट करें।
- 4- जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
- 5- प्रभाषीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन विभाग, कानपुर।
- 6- सुरक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि नीलामी की तिथि को सुरक्षा व्यवस्था कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 7- कुलपति के तकनीकी सचिव का ना० कुलपति महादय के सज्ञानार्थ।

  
(मानेन्द्र सिंह)  
सम्पत्ति अधिकारी/संयोजक

नीलामी की शर्तें

- 1- उच्चतम निविदादाता को सम्पूर्ण धनराशि नीलामी के उपरान्त जमा करनी होगी।
- 2- कंटा को लकड़ी काटकर एक सप्ताह में उठाना होगा।
- 3- लकड़ी काटते समय किसी प्रकार की क्षति/दुर्घटना होती है तो समस्त उत्तरदायित्व कंटा का स्वयं का होगा।
- 4- कंटाओं को पेड़ों/लकड़ी का निरीक्षण दिनांक 02.06.2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे कराया जायेगा तथा टेन्डर के पूर्व धरोधर राशि ₹0-20,000=00 नकद अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करनी होगी।
- 5- कंटा को 4% वार्षिक्यकर जमा कर रसीद की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करनी होगी।
- 6- कंटा निविदा प्रपत्र सभी कार्य दिवसों में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से दिनांक 02.06.2017 को पूर्वान्ह 10.30 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।
- 7- निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹0-1000/-नकद जमा कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, जा धनराशि वापस नहीं होगी। विश्वविद्यालय कौष में जमा की जायेगी।
- 8- नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार पूर्णतः गठित समिति का होगा।

  
(मानेन्द्र सिंह)  
सम्पत्ति अधिकारी/संयोजक